निर्वाचन आयोग

कठोर चेतावनी

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को कठोर निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव प्रचार में ईमानदारी बरतें तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। वर्तमान लोकसभा चुनाव अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग-ईसी ने कांग्रेस और भाजपा को कठोर निर्देश दिए हैं कि वे फर्जी विमर्श न बनाएं तथा सांप्रदायिक बयानबाजी से बचें। मजेदार बात है कि यह निर्देश सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव में पांच चरण पूरे होने के बाद आया है। इसके साथ ही इस हस्तक्षेप के समय और प्रभाव पर भी सवाल उठते हैं। क्या निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश स्वतंत्र या मुक्त चुनाव कराने के लिए दिया है अथवा इसका उद्देश्य अपनी गिरती हुई छवि सुधारना है? वैसे अतीत में भी विपक्ष निर्वाचन आयोग के कामकाज पर आपत्ति करता रहा है। निर्वाचन आयोग पर विपक्ष का आरोप है कि वह सत्तारूढ़ दल के प्रति उदार तथा विपक्ष के प्रति स्पष्ट रूप से कठोर रहा है। 2019 से तीन विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 27 शिकायतें दर्ज कराईं, पर निर्वाचन आयोग ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन तथ्यों को देखते हुए यह आरोप सही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिार्जुन खड़गे को नोटिस भेज कर 'स्टार प्रचारकों' की बयानबाजी पर लगाम लगाने को कहा है। इस प्रकार परोक्ष रूप से निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपने बयानों में संतुलन बरतने को कहा है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार उसे लगभग 425 बड़ी शिकायतें मिली हैं जिनमें चुनाव प्रचार संबंधी या स्पष्टीकरण मांगने वाले मामले शामिल नहीं हैं। ये शिकायतें विभिन्न पार्टियों और उम्मीदवारों की ओर से की गई हैं। इनमें से 400 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है या समस्या का समाधान किया गया है। अधिकांश मामलों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को दो दिन या उससे अधिक चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित किया गया है। अब चुनाव के केवल दो चरण बाकी होने के कारण इस निर्देश का ज्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि चुनावी विमर्श की दिशा लगभग तय हो गई है। इसका एक कारण यह भी है कि मीडिया चैनलों की अधिकता के कारण जनता की राय काफी सीमा तक प्रभावित हुई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश का उद्देश्य चुनाव प्रचार के अंतिम चरणों में बेलगाम बयानबाजी पर लगाम लगाना है। निर्वाचन आयोग की यह चेतावनी प्रभावी बनाने के लिए अनेक अन्य सहायक तत्वों की भी आवश्यकता है जिनमें प्रशासन और आम जनता की जागरूकता शामिल है। हालांकि, निर्वाचन आयोग अपने निर्देश से तथ्य-आधारित व जिम्मेदारी-पूर्ण चुनाव अभियान के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाना चाहता है, पर इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कठोर दंडात्मक प्राविधान भी शामिल होने चाहिए। सेना की 'अग्निवीर' जैसी परियोजनाओं के खिलाफ गैर-जिम्मेदार बयानबाजी करने पर कठोर दंड की व्यवस्था जरूरी है। ऐसी बयानबाजी से सैनिकों तथा देश की जनता का मनोबल गिरता है। निर्वाचन आयोग को वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रचार के गिरते स्तर व आक्रामक बयानबाजी को देखते हुए भविष्य में ज्यादा निष्पक्ष व लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उसे तेजी से हस्तक्षेप करने तथा उल्लंघनों पर कठोर दंड देने के रास्ते निकालने चाहिए। इस संबंध में वह अपने इतिहास से प्रेरणा ले सकता है जब टी.एन. शेषन ने इस संस्थान को शक्तिशाली बना दिया था।

मूलाधिकार के रूप में बाल विकास

ज्यादा समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में प्रारंभिक बाल विकास के सर्वव्यापीकरण को मूलाधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बच्चों का प्रारंभिक विकास समूचे समाज तथा देश के विकास हेतु महत्वपूर्ण है।

अपराजिता शर्मा
(लेखिका, ईसीडी अधिकार एलायंस से संबद्ध हैं)

प्रारंभिक बाल विकास-ईसीडी को एक दानदाता खैरात के बजाय मूलाधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह ज्यादा समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक बाल विकास को सर्वव्यापक बनाने के प्रयासों को महत्व दिया जाना चाहिए। अनेक स्वयंसेवी संगठन, चिकित्सक तथा समाजसुधारक व बुद्धिजीवी प्रारंभिक बाल विकास-ईसीडी के सर्वव्यापीकरण की पैरवी करते रहे हैं। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव जन्म से 18 वर्ष की आयु तक ईसीडी के सर्वव्यापीकरण की मांग का बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और बच्चों की देखभाल बच्चों के समग्र विकास तथा इस प्रकार पूरे समाज की व्यापक प्रगति के लिए जरूरी हैं। इस प्रकार ईसीडी मूलाधिकार है। भारत ने समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को अपने संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त सरकार पर आजीविका के समुचित साधन उपलब्ध कराने, संसाधनों के समतापूर्ण वितरण तथा बच्चों और संकटग्रस्त तबकों के विशेष संरक्षण का दायित्व डालते हैं। बचपन की प्रारंभिक अवस्था बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेशनल ईसीसीई पालिसी, 2013 में 6 वर्ष की आयु तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा तथा संरक्षण का महत्व रेखांकित करती है। शिक्षा अधिकार कानून-आरटीई एक्ट के अंतर्गत ईसीसीई को एक उचित अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्म से 18 वर्ष और कम से कम 6 वर्ष तक उनके विकास के लिए मूलभूत आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

लेकिन सरकार की इस घोषणा और प्रयासों के बावजूद ईसीडी प्रदान करने के रास्ते में अनेक चुनौतियां भी सामने आई हैं। 2009 में आरटीई कानून लागू करने के बाद पिछले 13 साल में देश भर के केवल 25.5 प्रतिशत स्कूल ही आरटीई पूरी तरह लागू करने के योग्य बने हैं। वर्तमान समय में प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 8.4 लाख पद खाली हैं और लगातार अनुबंध वाले या संविदा शिक्षकों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। भारत के लगभग 19 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं और सात में से एक स्कूल केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहा है। हालांकि, बिना पेशेवर ढंग से प्रशिक्षित व अभिप्रेरित शिक्षकों के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, लेकिन देश भर में लगभग 44 प्रतिशत शिक्षक समुचित 'रोजगार अनुबंध' के बिना काम कर रहे हैं। इनमें से अनेक शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं और उनको शिक्षणेत्तर काम के लिए बाध्य किया जाता है। अनुमान है कि शिक्षकों के कामकाज के कुल घंटों में से 20-25 प्रतिशत शिक्षणेत्तर काम में लगते हैं।

प्रति व्यक्ति पूर्व-प्राइमरी पर 8,997, सेकेंड्री पर 9,913 तथा हायर सेकेड्री पर 13,845 रुपये औसतन खर्च होते हैं। शहरी क्षेत्रों तथा निजी बिना सहायता वाले शिक्षण संस्थानों में यह खर्च और अधिक है। ईसीडी का महत्व स्वीकार करते हुए भी इसके संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन में अनेक बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3-6 वर्ष आयु के केवल 38 प्रतिशत बच्चे ही सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूलपूर्व शिक्षा में पंजीकृत हैं। इसके साथ ही 0-3 वर्ष आयु वाले बच्चों के सरोकार देश में अधिकारों व दायित्वों के मामले में सबसे निचले स्तर पर हैं। बच्चों में भार कम होना, बौनेपन व एनीमिया जैसे मुद्दों से समग्रता से निपटना आवश्यक है। इसके लिए समग्र प्रारंभिक बचपन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जो छोटे बच्चों की सभी शैक्षणिक व पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरे करते हों। 2018-19 तक समन्वित बाल विकास योजना-आईसीडीएस में बाल विकास परियोजना अधिकारी-सीडीपीओ के 30.1 प्रतिशत तथा सुपरवाइजर के 27.7 प्रतिशत पद खाली थे।

इसी प्रकार आंगनबाड़ी कर्मियों-एडब्लूडब्लू के 6.9 प्रतिशत तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं-एडब्लूएच के 7.6 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली थे। यह देश में बच्चों की देखभाल सेवाओं के सर्वव्यापीकरण की दिशा में गंभीर चिन्ता का विषय है। इसके साथ ही स्पष्ट होता है कि परियोजना के स्तर पर प्रशासन में व्यापक सुधार की भी जरूरत है। हालांकि, महिला कामगारों के बच्चों के लिए क्रेचों की स्थापना तथा बच्चों की देखभाल सेवाओं पर अनेक कानून हैं, पर इसके बावजूद ऐसे क्रेचों की संख्या में 3400 की कमी आई है और उसके लाभार्थी केवल 84,000 रह गए हैं। महिला कामगारों के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाओं के विकास को राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान मिला है जो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बिना बच्चों की देखभाल सेवाओं के सर्वव्यापीकरण तथा उपयुक्त सार्वजनिक प्राविधानों के ऐसे वादों का कोई अर्थ नहीं है। इनके बिना समाज के सर्वाधिक हाशियाकृत वर्ग के बच्चे पीछे छूट जाएंगे और केवल कुछ ही बच्चों को लाभ मिलेगा।

बाल अधिकारों के लिए कार्यरत चार राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्कों ने एक सार्वजनिक घोषणापत्र जारी कर बच्चों के अधिकारों, उनको मिलने वाली सुविधाओं तथा उनकी समग्र बेहतरी के लिए संवैधानिक प्राविधानों की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस घोषणापत्र में शिक्षा के अधिकार-आरटीई कानून को विस्तार देकर इसे जन्म से लेकर 18 वर्ष तक सभी बच्चों पर लागू करने की मांग की गई है। यह मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'बचपन' की स्वीकृत परिभाषा के अनुरूप है। बाल अधिकारों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय नेटवर्कों द्वारा तैयार इस घोषणापत्र में निजी स्कूलों तथा ईसीसीई केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय नियामक ढांचा तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा के लगातार बढ़ते वाणिज्यीकरण तथा निजीकरण पर रोक लगाना है। शिक्षा के लगातार वाणिज्यीकरण तथा निजीकरण के कारण समाज का बड़ा तबका इस मूलाधिकार से वंचित हो रहा है जिससे हाशियाकृत वर्ग के बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। शिक्षा में आई इन विकृतियों को रोकने की मांग दशकों से हो रही है, पर इस दिशा में समुचित कदम न उठाए जाने के कारण स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। शिक्षा के वाणिज्यीकरण के कारण आज मध्य वर्ग व निम्न मध्य वर्ग के लोगों को भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना कठिन होता जा रहा है। बाल-अधिकार नेटवर्कों द्वारा तैयार इस घोषणापत्र में कहा गया है कि फीस पर नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण मानकों के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित कराने तथा गरीबों के सामाजिक अलगाव को संबोधित करने के लिए एक नियामक ढांचा जरूरी है।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के कदम तत्काल उठाने चाहिए कि सभी निजी स्कूल उन शर्तों का पालन करें जिनके अंतर्गत उनको मान्यता दी गई है और किसी गैर-मान्यता वाले स्कूल को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य को यह गारंटी देने के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों-एसएमसी को मजबूत करना तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। एडब्लूडब्लू तथा एडब्लूएच जैसे महत्वपूर्ण पद कभी खाली नहीं रहने चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा उसके कर्मियों की क्षमताओं में सुधार होना चाहिए।

ईसीडी में निवेश के महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लाभ होते हैं। देश-विदेश में हुए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रारंभिक बचपन को गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुधारने के कार्यक्रमों में निवेश से पूरे समाज और देश तथा खासकर बच्चों को बहुत लाभ होता है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर होती है जिसके बेहतर आर्थिक नतीजे सामने आते हैं। उपयुक्त प्रारंभिक देखभाल और शिखा प्राप्त करने वाले बच्चे स्कूल में सफल होते हैं, उनको बेहतर नौकरियां मिलती हैं और वे समाज में सकारात्मक योगदान करते हैं। इसलिए ईसीडी को मूलाधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उपयुक्त फंडिंग तथा जीवन्त नीतियों के माध्यम से इसके सर्वव्यापीकरण को समर्थन देना चाहिए। इससे हाशियाकृत बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इस लक्ष्य के लिए स्पष्ट रोडमैप की प्रतीक्षा है।

भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां

"रूस-चीन संबंधों के साथ वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल होता जा रहा है।"

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक, भारत में होने वाले भीषण चुनाव एक या दो सप्ताह में समाप्त हो जाएंगे। लंबित नीतिगत निर्णयों की व्यस्तता तुरंत शुरू होने की संभावना है। यदि मौजूदा पार्टी वापस आती है, तो अधिकांश प्रमुख सरकारी विभागों द्वारा सौ दिनों का एक्शन-पैक एजेंडा पेश किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के घोषित उद्देश्य के अनुसार है कि चुनाव समाप्त होने के बाद एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि, चुनाव घोषित होने के समय जो भू-राजनीतिक स्थान मौजूद था, वह अब कहीं अधिक जटिल हो गया है और जल्द ही समाप्त होने से इनकार कर रहा है।

सच कहें तो कुछ बदलाव 2024 के दौरान दुनिया भर में होने वाले चुनावों से प्रेरित हैं, जिनमें प्रमुख यूरोपीय संघ और अमेरिका भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि लगभग सभी बहुपक्षीय मंच, जहां ये प्रमुख घटक और भारत प्रमुख योगदानकर्ता हैं, घरेलू राजनीति और मुद्दों के दबाव के अधीन होंगे। इस बीच, भारत के लंबे समय से साथी रूस ने लगभग एक महीने पहले अपने चुनाव समाप्त कर लिए हैं और फिर से चुने जाने पर राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले सप्ताह चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा की।

रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रमुख स्थायी सदस्य बनकर उभरे हैं, जिनके हितों और नीतियों के निकट भविष्य में अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लॉक के साथ संरेखित होने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन की चीन यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य ने चीन की उनकी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। यह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का विरोध करने वाले देशों के व्यापक पश्चिमी ब्लॉक के लिए एक संदेश था, जो ऐसे समय में आया जब चीनी राष्ट्रपति यूरोपीय संघ के हर वरिष्ठ नेता, फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मिलने के बाद वापस आए थे और उन्होंने कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों से दृढ़ समर्थन की पुष्टि की थी। यूरोपीय संघ और हाल ही में अमेरिका ने चीन की गैर-प्रतिस्पर्धी व्यापार प्रथाओं, विशेष रूप से राज्य-सब्सिडी वाले सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और कुछ टैरिफ उपाय किए हैं जो उनके बाजारों में बाढ़ ला रहे हैं।

भारतीय व्यापार संघों द्वारा आशंका जताई गई है कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आकर्षक अमेरिकी बाजार के नुकसान के कारण, इन ऑटोमोटिव उत्पादों को भारत में डंप किया जा सकता है जिससे यूरोप और अमेरिका जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस संदर्भ में ऐसा लगता है कि रूस चीनी ऑटोमोटिव क्षेत्र के पूर्ण समर्थन में सामने आया है, शायद यूरोप और अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश भेज रहा है। श्री पुतिन की चीन की राजकीय यात्रा के दौरान जारी मीडिया वक्तव्य में उन्होंने कहा, द्विपक्षीय औद्योगिक सहयोग के बारे में, हम रूसी बाजार में चीनी वाहन निर्माताओं और घरेलू उपकरण निर्माताओं के सक्रिय विस्तार को देखकर प्रसन्न हैं। जैसा कि हमारी वार्ता के दौरान चर्चा की गई और जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, हम किसी भी गैरकानूनी कार्रवाई, प्रतिबंध या प्रतिबंधों के हानिकारक प्रभाव को स्वीकार करते हैं। हम अपने चीनी समकक्षों के साथ सहयोग को तहे दिल से अपनाते हैं। चीन ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस की खुलकर आलोचना करने से परहेज किया है और अतीत में उस पर सैन्य उपकरणों की चोरी-छिपे आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। भले ही राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के वक्तव्यों में यूक्रेन का उल्लेख किया गया हो, लेकिन यह बड़े अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के मुद्दों और भू-राजनीतिक मामलों पर समग्र टिप्पणी के तहत मखमली दस्ताने में था।

विदेश नीति के मामलों पर रूसी राष्ट्रपति के वक्तव्य में कहा गया, हम संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद की केंद्रीय भूमिका, अंतरराष्ट्रीय कानून, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विविधता के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों के हितों के संतुलित संतुलन के आधार पर एक अधिक निष्पक्ष और अधिक लोकतांत्रिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

हमारा मानना है कि इस तरह के गठबंधनों का निर्माण बेहद हानिकारक और प्रतिकूल है। बहुपक्षीय संस्थाओं, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र और स्थायी सदस्यता में सुधार करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए दीर्घकालिक विदेश नीति का लक्ष्य रहा है। भू-राजनीति के मद्देनजर, नई सरकार के लिए विदेश नीति पर काम करना कठिन होगा।

आप की बात

पीओके पर चुप्पी

प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण मंत्री कई बार घोषणा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर-पीओके हमारा है एवं इसे हम जरूर लेकर रहेंगे। आज हिंदुस्तान की जनता भी इसे एक आकर्षक भविष्य की तरह देख रहा है। सैकड़ों बरसों की प्रतीक्षा के बाद तैयार राम मंदिर जनता का सपना पूरा होने का प्रतीक है। अत: अब पीओके वापस लेना हर भारतीय की इच्छा है। खुशी है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा और केन्द्र सरकार डंके की चोट पर घोषणा करती है कि उसके एजेंडे में पीओके वापस लेना है। दुख है कि भाजपा के अलावा आज कोई भी विपक्षी पार्टी पीओके पर एक शब्द तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस, सपा, आप, टीएमसी, बसपा, भाकपा, माकपा, द्रमुक व विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों को जैसे भाजपा की इस घोषणा से सांप सूंघ गया है। कश्मीर के अनेक नेता तो दशकों तक भारतीय जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के सपने देखते रहे हैं और वह अनुच्छेद 370 वापस लाने की मांग कर रहे हैं जिसने भारत को मजबूत किया है और कश्मीर को मुख्यधारा में लाया है। देश की जनता पीओके पर चुप्पी मारने वाले दलों की असलियत समझ रही है। वह उनको खारिज कर रही है।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

मुकदमों का बोझ

अदालतों में बढ़ते राजनीतिक मुकदमों के कारण आम आदमी की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमियों के मुकदमों से अदालतों में फाइलों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और अनगिनत मुकदमों के फैसलों में पीढ़ियां गुजर रही है फिर भी निर्णय नहीं मिल पा रहे हैं। ऊपर से राजनीतिक व रसूखदार लोगों के मुकदमों की भीड़ अदालतों पर और अधिक भार बढ़ाती जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बढ़ते मुकदमों के भार से दबी जा रही हैं। इसे देखते हुए जरूरी है कि देश के कानूनमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय बढ़ते मुकदमों के मद्देनजर उनके निर्णय की समय सीमा बांधे ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। हालांकि, सरकार ने तीन नए कानूनों के माध्यम से इस दिशा में पहल कर दी है, पर सरकार के हर कदम में खुचड़ निकालने वालों ने इनके खिलाफ भी याचिका दायर कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर देश में न्याय की गति तेज करने का मार्ग खोल दिया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि भारत में आम जनता को त्वरित न्याय मिलेगा तथा राजनेता और रसूखदार लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से यथासंभव बाहर किए जाएंगे। यह भारत को विकसित देश बनाने के लिए जरूरी है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

ट्रोल का रोग

कुछ दिन पहले कोयम्बटूर में दो बच्चों की एक मां ने सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। हाल ही में यूपी बोर्ड की टॉपर प्राची निगम को उसके रंग रूप और शारीरिक बनावट के आधार पर ट्रोल किया गया। ट्रोलिंग का मामला इतना संगीन बनता जा रहा कि लोग सोशल मीडिया से कतराने लगे हैं। ट्रॉलर्स का उद्देश्य लोगों का मनोबल तोड़ना और उनका मजाक उड़ाना होता है। ट्रॉलर्स के पीछे छिपी मानसिकता को समझना होगा। भले ही कोई सेलिब्रिटी बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, पर एक दो बार प्रदर्शन न दोहरा पाने पर ट्रॉलर्स का शिकार बन जाता है। महेंद्र सिंह धौनी, विराट कोहली, आमिर खान, शाहरुख खान, आदि कभी न कभी ट्रोल का शिकार बने हैं। ज्यादा भावुक लोग इसे सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या तक कर बैठते हैं या अवसाद जैसी मानसिक विकृतियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहां तक कि आपस में अंजान लोग गाली गलौज भी करने लगते हैं। इस बढ़ती हुई खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। वैसे इस सामाजिक बीमारी पर लगाम लगाने के लिए पूरे समाज को साथ आना होगा।

–**मंगल सिंह,** लखनऊ

कमाई के रास्ते

हर पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा कमाने वाला दूल्हा ही ढढेगा। मगर अच्छा कमाने के लिए सिर्फ नौकरी ही एकमात्र जरिया नहीं है। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा मुफ्त आवास के लिए धन दिए जाने से निर्माण कार्य, सिलावट, सुथार, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मजदूर आदि की बड़ी तंगी चल रही है। यह सभी कारीगर प्रतिदिन 1000 रुपये रोज पर काम करते हैं। ठेका लेने पर वे इससे भी अधिक कमाई कर लेते हैं। मगर विडंबना यह है कि ग्रामीण युवा परिश्रम पूर्वक काम करने से कतराने लगा है और यही उसके बेरोजगार रहने और कुंवारे रह जाने की मुख्य वजह है। अब ऐसे कार्यों के लिए सरकार ब्याजमुक्त कर्ज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। गांव से शहरों में सैलून और लॉन्ड्री खोलना फायदे का काम हो गया है। युवकों को ऐसे रोजगार के कार्यों में लग जाना चाहिए ताकि उनकी शादी भी हो जाए और खुद के बलबूते पर अच्छी कमाई भी कर सके। यह संभव नहीं कि सरकार हर युवक को सरकारी नौकरी दे सके। वैसे भी एआई जैसी तकनीक के कारण रोजगार और कमाई के नए रास्ते खोजने ही होंगे।

–**विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

प्रवाह
महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

> राजनीति में कभी भी पूर्ण विजय नहीं होती है।
> -रिचर्ड निक्सन

काम्या और प्रीतिस्मिता ने जिस तरह अपनी ताजा उपलब्धियों से देश का नाम रोशन किया है, वह जमीन से लेकर सर्वोच्च शिखर तक देश की बेटियों की कामयाबी की कहानी है। जब महिलाएं खेल या किसी दूसरे क्षेत्र में चैंपियन बनती हैं, तो वे अपने समाज को तो ऊपर उठाती ही हैं, दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं।

प्रेरणा बनतीं बेटियां

ऐसे वक्त में, जब पूरा देश भीषण गर्मी व जानलेवा लू से जूझ रहा है और कहीं से राहत मिलने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे, देश की दो बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि से जुड़ी खबरें वाकई सुकून देती हैं। झारखंड की काम्या कार्तिकेयन ने महज सोलह वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा कर इतिहास तो रचा ही है, नेपाल की तरफ से शिखर फतह करने वाली वह सबसे कम उम्र की पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की बालिका भी बन गई हैं। वहीं दूसरी ओर, ओडिशा के बेहद पिछड़े इलाके ढेंकनाल की प्रीतिस्मिता भोई ने भी सिर्फ पंद्रह वर्ष की आयु में पेरू में आयोजित विश्व युवा वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। काम्या की ताकत उनके पिता एस कार्तिकेयन बने, जो भारतीय नौसेना में कमांडर भी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से काम्या ने तीन साल की उम्र से ही ट्रैकिंग भी शुरू की। जबकि प्रीतिस्मिता के सिर से पिता का साया तभी उठ गया, जब वह महज दो वर्ष की थीं। इसके बाद अपने कोच की मदद और प्रेरणा से वह आगे बढ़ीं। प्रेरक कामयाबियों की इन कहानियों में तेलंगाना के वारंगल के दिहाड़ी मजदूर की बेटी दीप्ति जीवांजी का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की चार सौ मीटर टी-20 श्रेणी की स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। इतनी कम उम्र में अगर ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में खुद को साबित कर पा रही हैं, तो इसका श्रेय इनकी मेहनत और अभिभावकों के प्रोत्साहन को ही जाना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अगर विश्वस्तरीय खेलों में देश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो इसके पीछे स्थानीय व जिला स्तर पर किए जा रहे सरकारी प्रयासों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' अभियान जैसे प्रयासों का ही नतीजा है कि अंतरराष्ट्रीय

स्तर की स्पर्धाओं में महिलाओं की भागीदारी 1990 के करीब 2.2 फीसदी से बढ़कर आज 47 फीसदी से भी ज्यादा हो गई है। काम्या, प्रीतिस्मिता और दीप्ति की ये सफलताएं साधारण नहीं हैं। जब महिलाएं खेल या किसी दूसरे क्षेत्र में चैंपियन बनती हैं, तो वे अपने आसपास के समाज को तो ऊपर उठाती ही हैं, दूसरी महिलाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित करती हैं। आज समय जरूर बदल रहा है, लेकिन एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को हतोत्साहित करने की परंपराएं सदियों से जड़ें जमाए हों, काम्या, प्रीतिस्मिता और दीप्ति की सफलताएं इसलिए भी उम्मीद जगाती हैं कि ये उन बेड़ियों को तोड़कर आगे आई हैं।

क्या दक्षिण से भाजपा को कुछ मिलेगा

दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, इसलिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए दक्षिण भारतीय राज्य महत्वपूर्ण हैं। हालांकि वहां क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है, लेकिन मोदी के मजबूत नेतृत्व, राम मंदिर निर्माण एवं मुफ्त राशन योजना की वजह से भाजपा इस बार मजबूत स्थिति में है।

दक्षिण भारत में राजनीतिक विवाद बहुत ज्यादा हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों में एक सामान्य प्रवृत्ति नई दिल्ली के खिलाफ है, खासकर भाजपा के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रमुक का मुकाबला करने के लिए भाजपा का जनाधार बढ़ाने पर काफी जोर दिया है। वह पहली बार के मतदाताओं के जेहन में अलगाववादी सोच और क्षेत्रवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक पुनरुत्थान लाना चाहते हैं। दक्षिण भारत की छह राजनीतिक पार्टियों ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

आर राजगोपालन
वरिष्ठ पत्रकार

अब दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और लोग बेसब्री से चार जून को आने वाले नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में छह क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है-द्रमुक, अन्नाद्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगू देशम, जनता दल (एस) और भारत राष्ट्र समिति। भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति वहां नगण्य है। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है। इससे पहले भाजपा ने तीन बार कर्नाटक की सत्ता संभाली है। फिलहाल भाजपा पुदुचेरी में सरकार में शामिल है।

द्रमुक ने प्रधानमंत्री मोदी का डटकर विरोध किया है। असल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन डरे हुए हैं। वर्ष 2014 में कांग्रेस को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद नरेंद्र मोदी ने द्रविड़ राजनीति को खत्म करने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि वर्ष 2019 में द्रमुक ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया था, लेकिन इस बार राहुल के वायनाड चुनाव में द्रमुक ने राहुल गांधी के लिए प्रचार नहीं किया।

अन्नाद्रमुक राजग (एनडीए) गठबंधन से बाहर हो गई है। मोदी ने एक ही झटके में अन्नाद्रमुक नेता एडापट्टी पलानीस्वामी के महत्व को कम कर दिया और एमके स्टालिन को ही अपना मुख्य विरोधी माना।

मोदी के बार-बार तमिलनाडु दौरे पर जाने पर भी द्रमुक ने आपत्ति जताई। आंकड़े बताते हैं कि जबसे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के छह राज्यों की 64 बार यात्रा की है।

दक्षिण भारत में साक्षरता दर ज्यादा है। शायद यही कारण है कि मतदाता राहुल गांधी को मनोरंजनकर्ता के रूप में लेते हैं। राजनेता किसी नीति के बगैर अनाप-शनाप बातें करते हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने हैदराबाद में कहा कि वह गरीबों के खाते में एक लाख रुपये खटा-खट भेजेंगे। कांग्रेस इतने पैसे का इंतजाम कैसे करेगी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी की तुलना नवीन पटनायक से करते हुए कहा कि नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में वीके पांडियन का उभार हो, या अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में दक्षिण लॉबी से गठजोड़ हो या रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल गांधी का वायनाड की जनता को अंधेरे में रखना हो, ये सब दक्षिण में चर्चा के मुद्दे रहे हैं।

भाजपा ने जगन रेड्डी पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप लगाया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि वायनाड से राहुल गांधी को हराया जाना चाहिए। इधर यौन शोषण मामले में वांछित जनता दल (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पकड़ने का दबाव बढ़ रहा है, जो फरार हैं। इस मामले में कांग्रेस जान-बूझकर भाजपा पर दोष मढ़ रही है, जबकि नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रेवन्ना को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए दक्षिण भारत के छह राज्य महत्वपूर्ण हैं। भले ही कांग्रेस की कर्नाटक एवं तेलंगाना में सरकार है, लेकिन उसके लिए भी यह आसान नहीं है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पुदुचेरी में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं।

नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और मुफ्त राशन की कल्याणकारी योजना के चलते भाजपा मजबूत स्थिति में है। जाहिर है, भाजपा दक्षिणी राज्यों के सांसदों पर निर्भर नहीं है। याद रहे कि 2019 में मोदी-शाह की जोड़ी ने जब पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, तो वहां भाजपा के 18 सांसद चुने गए थे। उसी तरह इस जोड़ी ने इस बार दक्षिण पर जोर दिया है। यही नहीं, मोदी ने केरल पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। अब दूसरे विवादों की बात करते हैं, जिनका इस्तेमाल द्रमुक ने राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। नवीनतम विवाद बीजद नेता नवीन पटनायक पर मोदी की टिप्पणी को लेकर है। भाजपा ओडिशा की राजनीति में एक तमिल आईएएस वीके पांडियन के वर्चस्व के खिलाफ हो गई है। कई बीजद नेता वहां भाजपा को विकल्प के रूप में देखते हैं। नवीन पटनायक के कई विश्वासपात्र साथ छोड़कर चले गए हैं। मोदी ने ओडिशा की चुनावी रैली में पांडियन के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, जिसे द्रमुक ने तमिल पहचान से जोड़ते हुए तोड़-मरोड़कर पेश किया। तमिलनाडु के भाजपा नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, जो उन्हें तमिलनाडु के भीतर और बाहर की घटनाओं से दूर रखते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की सभा में क्या कहा, इसे बिना संदर्भ के समझे ही वह बात कर रहे हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी के लिए 'नफरत फैलाने' का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओडिशा के पुरी में खजाना भंडार की गायब चाबियां तमिलनाडु भेजी गई हैं। मोदी की टिप्पणी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन को लेकर थी, जो मूलतः तमिलनाडु के हैं। हालांकि दक्षिण की ये छह पार्टियां नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर एक-दूसरे का विरोध करती हैं, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर एकजुट हो जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्व सरमा दक्षिण भारत के कॉलेज छात्रों के प्रिय नेता हैं।

मोदी ने चुनावी रैलियों में रेत माफिया, ड्रग माफिया, तमिल सिनेमा में ड्रग के खतरे पर जमकर निशाना साधा। दक्षिणी राज्यों में मोदी के धुआंधार प्रचार ने कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रभाव को कम कर दिया है। अब यह तो चार जून को ही पता चलेगा कि भाजपा अपने उद्देश्यों में कितनी सफल रही।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जग्गी वासुदेव

जीवन में अनुकूल-प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना करें। किसी भी तरह की परिस्थिति से अगर निपटने की इच्छा है, तो आपके अंदर 'मैं ही जिम्मेदार हूं' का बोध होना जरूरी है।

काम को टालने के बजाय उसकी जिम्मेदारी खुद लें

ज्यादातर लोग जिम्मेदारी का नाम सुनते ही उसे दोष लगाने के अर्थ में लेते हैं। यानी यही अर्थ लगाते हैं कि गलती की जिम्मेदारी इन पर या उन पर होनी चाहिए। यह मिथ्या धारणा है। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हों तो उनके कई कारण हो सकते हैं। उनके निर्माण में कई लोगों की साझेदारी हो सकती है। लेकिन कौन जिम्मेदार? यह मेरा सवाल है; यह नहीं कि इसकी जड़ में कौन व्यक्ति है। या किसकी गलती है?

शंकरन पिल्लै शराब पीकर सड़क पर हल्ला मचाने लगा। पुलिस उसे अदालत ले गई। उसकी बकबक से न्यायाधीश खीज गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं। तुमने जो व्हिस्की पी रखी है, वही तुम्हें नचा रही है। यह सुनते ही शंकरन के आंसू भर आए और जज से बोला- मान्यवर आपने जिस हद तक मुझे समझ लिया, मेरी पत्नी भी नहीं समझ पाई है। वह हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि मेरी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। इन्हीं की तरह कई लोग अपनी जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना, उसे टालने के बाद उबरने का मार्ग न जानकर परेशान होते हैं। जिम्मेदारी को अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं।

रेस्पॉन्सिबिलिटी=रेस्पॉन्स+एबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का मतलब है आपकी उत्तर देने की क्षमता। अपनी जिंदगी के प्रत्येक पल में आप इस विश्व की घटनाओं पर अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते हैं। उसका उत्तर देते हैं। यहां उत्तर का मतलब है रेस्पॉन्स। आप जिस कमरे में रहते हैं, वह ठंडा है। आप चादर उठाकर ओढ़ लेते हैं। यह है उस ठंडी हवा के लिए आपका दिया उत्तर। आप जो सांस लेते हैं, वह पेड़ के द्वारा बाहर निकाली गई हवा है। आप और पेड़ हरदम एक-दूसरे को उत्तर देते हुए ही तो जी रहे हैं।

हर परिस्थिति में जब आप महसूस करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, तब उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहती है। अगर आप मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कहते हुए टाल दें तो उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर नहीं रह जाती। जीवन में परिस्थितियां सुविधा और असुविधाजनक या अनुकूल-प्रतिकूल हो सकती हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना करें। यदि आप कहते हैं कि हर तरह की परिस्थिति में उसका उत्तर देने की इच्छा है तो आपके अंदर उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, इस बोध के होने पर उत्तर देना संभव होगा। जिम्मेदारी का एहसास होने पर शक्तिशाली और टालने की कोशिश करते समय निकम्मे बन जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूं, यह मानेंगे तो जिंदगी आपके हाथ में है। दूसरों को दोष देने पर अपनी जिंदगी का अपहरण करने की अनुमति उसे दे देते हैं। जो कुछ भी हो, मेरे जीवन की घटनाओं के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, हृदय में यह अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम और आनंद का साम्राज्य छा जाएगा। यही उन्नति का आधार है।

दुख न पालें

सूत्र

इस दुनिया में जीवन-यापन के लिए कुछेक कामों को करना ही पड़ता है। उन सबको तुच्छ समझने से ही पैदा होती हैं झंझटें। अपनी पसंद का काम जो भी हो, पूरे मन के साथ उसे निभाइए, तब भगवान के समीप होने का एहसास पाएंगे। दूसरे किसी की तरह जीने का संकल्प करके दुखों को पालना छोड़ दीजिए।

8 सवाल

ऐसी सूचनाएं जिनका आपके जीवन से सीधा संबंध होता है, उनके बारे में आपके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब मिलेगा '8 सवाल' में...

प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदान संपन्न होने के बाद 'फॉर्म 17सी' भरा जाता है। इस फॉर्म को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आइए, जानते हैं क्या है फॉर्म 17सी और क्यों है इतना विवाद...

फॉर्म 17सी और कानून

1 क्या है फॉर्म 17सी?

सरल शब्दों में कहें, तो पोलिंग बूथ पर कुल पड़े वोट की जानकारी जिस फॉर्म में भरते हैं, उसे फॉर्म 17सी कहते हैं। इसमें ईवीएम सीरियल नंबर, कुल वोटर, 17-ए के तहत वोटर रजिस्टर में मतदाता संख्या, नियम 49-एएम के तहत उन वोटर्स की संख्या, जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, मशीन में दर्ज वोटों की संख्या, बैलेट पेपर की संख्या, छह पोलिंग एजेंट और चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।

2 क्यों जरूरी है?

इसी फॉर्म के अगले हिस्से का मतगणना वाले दिन इस्तेमाल होता है। इसमें हर प्रत्याशी को मिले वोट की संख्या दर्ज होती है। चुनाव कराने के नियम 1961 के 49ए और 56सी के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17सी के पहले भाग में वोटों की जानकारी भरनी होती है।

3 एजेंट को फॉर्म क्यों?

नियम 49एस(2) के तहत प्रत्याशी के एजेंट को दिए गए फॉर्म 17सी में डाटा का उपयोग मतगणना के दिन परिणामों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। विसंगति के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।

4 सार्वजनिक करने की मांग क्यों?

चुनाव आयोग को वोटिंग के अंतिम आंकड़े जारी करने में समय लगता है। इसी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के अंतिम आंकड़े 10 दिन बाद आए। गड़बड़ी की आशंका के चलते फार्म 17सी सार्वजनिक करने की मांग हो रही है।

5 कौन कर रहा है मांग?

एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) और तृणमूल प्रत्याशी महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रत्येक पोलिंग बूथ के फॉर्म 17सी की स्कैन कॉपी 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है। कांग्रेस ने एक करोड़ सात लाख वोटों की गड़बड़ी की आशंका जताई है।

6 छोटे दल क्यों मांग रहे?

दलील दी गई है कि एक लोकसभा क्षेत्र में दो हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ होते हैं। हर प्रत्याशी को करीब छह हजार बूथ एजेंट की जरूरत होगी। ऐसे में तमाम क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए इतने एजेंट जुटाना मुश्किल है।

7 चुनाव आयोग की आपत्ति?

चुनाव आयोग का कहना है कि गड़बड़ी के आरोप भ्रामक, झूठे हैं। वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जो पहले ही लोकसभा चुनाव में लगी है। ऐसा कोई कानून भी नहीं है। आंकड़ों में छेड़छाड़ हो सकती है।

8 टाइमिंग पर 'सुप्रीम सवाल'?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए फिलहाल दखल देने से इन्कार करते कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं। गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी।

आंकड़े

पसंदीदा खाद्य तेल

उत्तर भारत (दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश) के लोग सबसे ज्यादा सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं।

सरसों तेल	61.1%
सूरजमुखी	12.0%
चावल की भूसी	9.0%
जैतून	7.0%
अन्य	11.0%

स्रोत: ICAR Survey

वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर प्रार्थना की थी कि भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर जन्म लें, तो उनमें हमारी अविचल भक्ति हो।

ब्रह्मा ने दिया था नंदबाबा को वर

अंतर्यात्रा
संकलित

ब्रह्म वैवर्तपुराण व गर्ग संहिता में वर्णन है कि नंदबाबा गोलोक में नित्य भगवान के साथ निवास करते हैं। जब भगवान ब्रजमंडल में अवतरित हुए, तब समस्त ग्वाल-बाल और गोपियों ने इसे अपनी लीला भूमि बनाया। नंदबाबा कई भाई थे, नंद, उपनंद, महानंद आदि। नंदजी गोप थे और उस समूह के नायक।

नंदबाबा मथुरा के सामने यमुना के दूसरे छोर पर गोकुल में रहते थे। वसुदेव और उनकी अच्छी मित्रता थी। इसलिए जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव उन्हें गोकुल में छोड़ आए। नंदबाबा कृष्ण को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। वह यशोदा मैया से कहते थे कि लल्ला को कोई परेशानी न हो। हालांकि भगवान कृष्ण के लालन-पालन की जिम्मेदारी नंदबाबा और माता यशोदा को ही क्यों मिली। इसका उनके पूर्व जन्म से भी संबंध है।

नंदबाबा अपने पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थे। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दोनों को वर मांगने के लिए कहा-तो इस पर उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवन जब प्रभु श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लें तो उनमें हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वर के प्रभाव से अगले जन्म में धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ। द्रोण ने नंदबाबा के रूप में जन्म लिया। भगवान श्रीकृष्ण का जब जन्म हुआ, तो वसुदेव को अपने मित्र नंदबाबा की ही सबसे पहले याद आई। यह ब्रह्मा के वर का ही प्रभाव था।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 11 सितंबर, 1949

बाहरी दुनिया कश्मीर समस्या का हल 'विभाजन' समझती है

बाहरी दुनियां काश्मीर की समस्या का हल 'विभाजन' समझती है

नरमदली अखबार मैनचेस्टर गार्जियन ने कश्मीर समस्या पर लिखा है कि कश्मीर की लड़ाई काफी खतरनाक हो गई है। अब उसे और खतरनाक नहीं बनने देना चाहिए। दुनिया कश्मीर समस्या का हल विभाजन समझती है।

दर्द का दरिया न बन जाए डल झील

श्रीनगर की कुल आय का 16 प्रतिशत इसी झील से आता है और यहां के 46 फीसदी लोगों के घर का चूल्हा इसी झील से हुई कमाई से जलता है।

पंकज चतुर्वेदी | संकट

हाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कश्मीर में डल झील की 'बिगड़ती स्थिति' पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित कई प्राधिकारों से जवाब मांगा है। एनजीटी ने कहा कि एक समय लोग इस झील का पानी पीते थे, लेकिन आज इसका उपयोग मुंह धोने के लिए भी नहीं कर सकते। इसरो द्वारा खींचे गए सैटेलाइट चित्रों के सहयोग से अमेरिकी संस्था 'अर्थ ऑब्जर्वेटरी इमेज' भी कह चुकी है कि वर्ष 1980 से 2018 के बीच श्रीनगर का 'अस्तित्व' कही जाने वाली डल झील का आकार 25 फीसदी घट गया। अदालती दखल, सरकारी कोशिशों व स्थानीय दबाव के बावजूद डल झील मजबूर है मौन अतिक्रमण सहने और घरेलू गंदगी को खपाने के लिए।

श्रीनगर की कुल आय का 16 प्रतिशत इसी झील से आता है। यहां के 46 फीसदी लोगों के घर का चूल्हा इसी झील से हुई कमाई से जलता है। तैरते हुए बगीचे

झील के मुख्य आकर्षण हैं। कमल और कुमुदनी के फूल नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह झील लाखों जलचरों, परिंदों का भी घरोंदा हुआ करती थी। अपने जीवन की थकान, हताशा और एकाकीपन को दूर करने के लिए देश-दुनिया के लाखों पर्यटक इसका दीदार करने आते थे। अब यह बदबूदार नाबदान व शहर के लिए मौत के जीवाणु पैदा करने का जरिया बन गई है।

पिछले महीने ही जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के दबाव में सरकार ने एक हजार पन्ने के दस्तावेज में एक योजना पेश की। बीते अनुभव बताते हैं कि अदालत में पेश योजना जब महकमों के पास साकार होने आती है, तो कागजों के अलावा कहीं सुधार नहीं होता। एक अनुमान के अनुसार, अब तक इस झील को बचाने के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। असल में इसे बचाने की ज्यादातर योजनाएं दिखावटी होती हैं, जैसे एलईडी लाइट लगाना, रैलिंग लगाना, फुटपाथ को नया बनाना आदि। इन सबसे इस अनूठी जलनिधि के नैसर्गिक स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ऐसे निर्माणों का मलबा झील को नुकसान ही पहुंचाता है।

वर्ष 1976 में सरकार ने पहली बार झील की स्थिति पर विचार किया। 1978 में झील व उसके आसपास किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई गई, लेकिन बीते 45 वर्षों में इस पर कभी अमल होता नहीं दिखा है। आज एक लाख से ज्यादा झोपड़ी झील क्षेत्र में बसी हैं। जब भी कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने, हाउस बोट को दूसरी जगह ले जाने के आदेश दिए, तो सियासी दबाव में उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहमति नहीं होगी, डल झील को दर्द का दरिया बनने से नहीं रोका जा सकता।

झील का सबसे बड़ा दुश्मन अतिक्रमण है। आसपास की बस्तियों और शिकारों से निकलने वाला मल-मूत्र सीधे इसमें गिरने से इसके पानी की गुणवत्ता खराब हुई है। लोग चोरी-छिपे इसमें कूड़ा भी फेंकते हैं। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरी डल झील में चार जलाशयों का पानी आकर मिलता है। झील में सफाई होती भी है, तो इन चार जलाशयों का प्रदूषित पानी इसे और गंदा कर देता है। डल झील के बड़े हिस्से में वनस्पतियां उग आई हैं, जिससे सूर्य की किरणें गहराई तक नहीं जा पातीं। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी होती और बदबू आने लगती है। ज्यादा कमाई के लोभ में होती निरंकुश खेती के चलते रासायनिक खाद व कीटनाशकों ने पानी को जहरीला बना दिया है।

सरकारी रिकॉर्ड गवाह है कि सन 1200 में इस झील का फैलाव 75 वर्ग किलोमीटर में था। लेकिन अब इसमें जल का फैलाव मुश्किल से आठ वर्ग किलोमीटर में सिमट गया है। झील गाद से पटी हुई है। पानी का रंग लाल-गंदला है और काई की परतें हैं। इसका पानी मनुष्यों के इस्तेमाल के लिए खतरनाक घोषित हो चुका है। बढ़ते वैश्विक तापमान से भी डल झील अछूती नहीं है। डल का सिकुड़ना ऐसे ही जारी रहा, तो इसका अस्तित्व बमुश्किल 350 साल बचा है। यह बात रुड़की यूनिवर्सिटी के वैकल्पिक जल-ऊर्जा केंद्र द्वारा तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कही गई है। श्रीनगर शहर के पास न तो क्षमताओं के अनुरूप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, न ही शहर के बड़े होटल इस बारे में कोई कदम उठाते हैं। इसका खामियाजा वहीं के लोग भुगत रहे हैं। झील के पास की बस्तियों में शायद ही ऐसा कोई घर हो, जहां गेस्ट्रोइंटाटीस, पेचिस, पीलिया जैसे रोगों से पीड़ित न हो।

संपादकीय जागरण

शनिवार, 25 मई, 2024 : ज्येष्ठ कृष्ण – 2 वि. 2081

आत्मविश्वास समस्त शक्तियों को संगठित कर देता है

अनावश्यक संदेह

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एडीआर यानी एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर की गई इन याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया कि चुनाव आयोग को प्रत्येक मतदान केंद्र में कितने वोट पड़े, इसका विवरण 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करने को कहा जाए। इन याचिकाओं में केवल मतदान प्रतिशत बताने को ही नहीं कहा गया था, बल्कि उसका विवरण देने वाले फार्म 17 सी की स्कैन कापी अपलोड करने की भी मांग की गई थी। ध्यान रहे कि मतदान के बाद फार्म 17 सी की प्रतियां उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। आखिर जब ऐसा होता है, तब चुनाव आयोग से यह क्यों चाहा जा रहा है कि वह इस फार्म की स्कैन कापी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे? चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय पर भी सवाल उठाए। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जब चुनाव प्रक्रिया जारी है, तब चुनाव आयोग का बोझ बढ़ाने वाली किसी मांग पर फिलहाल विचार करना ठीक नहीं। उसने यह भी पाया कि इस मामले को लेकर एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। इसके बावजूद नई याचिकाएं दायर कर अंतरिम राहत प्रदान करने की मांग की गई। इसी कारण चुनाव आयोग के वकील की यह दलील थी कि केवल आधारहीन आशंकाओं के चलते नई याचिकाएं दायर की गईं और उनका उद्देश्य चुनाव आयोग को बदनाम करना है। इस दलील में दम नजर आता है।

पिछले कुछ दिनों से कई राजनीतिक दल यह माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि मतदान के दिन जारी किए जाने वाले वोट प्रतिशत के अंतरिम आंकड़ों और कुछ दिन बाद जारी होने वाले अंतिम आंकड़ों में अंतर के पीछे किसी तरह की धांधली हो सकती है। यह बेतुकी आशंका ही है, क्योंकि मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में अंतर होना कोई नई-अनोखी बात नहीं। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों का विवरण जारी करके यह बताया भी है कि पहले भी मतदान के अंतिम आंकड़ों को जारी करने में कुछ दिन का समय लगता रहा है। मतदान के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों में अंतर को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उनका इसलिए कोई औचित्य नहीं, क्योंकि मतदान प्रतिशत का विवरण प्रत्याशियों के पास तो होता ही है, वह ईवीएम में भी दर्ज होता है। आखिर इस स्थिति में किसी तरह की हेरफेर अथवा धांधली कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उसने यह समझा कि इन याचिकाओं का उद्देश्य अनावश्यक संदेह पैदाकर चुनाव आयोग को विवादों में घेरना और नए विवाद खड़े करना है। चूंकि यही काम ईवीएम को लेकर किया जा चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को झटका देकर बिल्कुल सही किया।

आओ, नंबर वन बनें

हरियाणा में चुनावी दौरे पर आए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगर यहां के मतदाताओं के हौसले की तारीफ करते हैं तो यूं ही नहीं। उन्हें भलीभांति मालूम है कि इस छोटे-से प्रदेश के लोगों में नंबर वन बनने का हौसला है, जुनून है, जज्बा है। प्रधानमंत्री के इस आकलन में अतिशयोक्ति भी नहीं है। कारण कि हमारा हरियाणा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहा है। वह चाहे प्रति व्यक्ति आय हो अथवा योजनाओं का डिजिटलीकरण, आटो इंडस्ट्री में शेयर हो अथवा दुग्ध-उत्पादन, हौसले के बल हरियाणा हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। इसी सबल पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अठारहवीं लोकसभा के लिए होने वाले मतदान का लक्ष्य 75 प्रतिशत रखा है। आयोग ने न केवल लक्ष्य तय किया है बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए पांच तरह की एप और अन्य तमाम सुविधाएं भी मतदाताओं के लिए सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिखाई है। वोटर्स हेल्पलाइन, नो यूअर कैंडिडेट, सक्षम, वोटर्स टर्नआउट और वोटर्स क्यू जैसी एप लक्षित मतदान में सहायक होंगी।

> सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहने के साथ अब मतदान में नंबर वन बनने की बारी है

अब बारी जागरूक मतदाताओं की है। यह सही है कि नौतपा के साथ मतदान करना उनके लिए चुनौती होगी। लेकिन निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी सुविधागत व्यवस्था की है। बूथ की तमाम गतिविधियां भी आयोग की एप पर उपलब्ध होंगी। इतने व्यापक प्रबंध को लक्ष्य की सीढ़ी बनाकर आइए हम लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देकर मतदान के मामले में भी नंबर वन बनें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

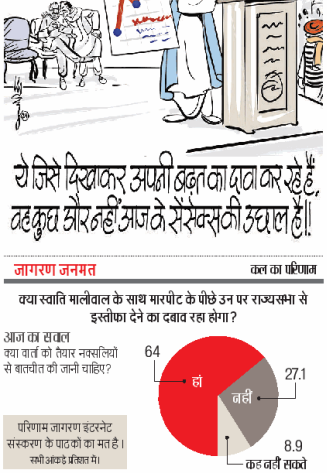

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के पीछे उन पर राज्यसभा से इस्तीफा देने का दबाव रहा होगा?

आज का सवाल
क्या वार्ता को तैयार नक्सलियों से बातचीत की जानी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मोदी केंद्रित एक और चुनाव

डा. एके वर्मा

यह चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव है। चुनाव प्रचार को ऐसा बनाने में विपक्ष की भी भूमिका रही

लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। चुनाव में मतदाता अपनी वैचारिक अभिरुचि के अनुसार प्रत्याशियों को वोट देते हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि चुनाव प्रचार से कितने लोग अपना मन बदलते हैं, लेकिन मतदाताओं का एक छोटा समूह अनिर्णय की स्थिति में होता है, जो चुनाव प्रचार से प्रभावित होता है और चुनाव परिणामों पर कुछ हद तक असर भी डालता है। राजनीतिक शब्दावली में मतदाताओं के इस वर्ग को 'फ्लोटिंग वोटर्स' कहा जाता है। जहां तक इस चुनाव प्रचार की कुछ विशेष प्रवृत्तियों पर गौर किया जाए तो यह चुनाव अभियान मोदी केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व की इतनी बड़ी लकीर खींची कि इस समय कोई नेता उनके आसपास भी नहीं ठहरता। मोदी ने अथक परिश्रम कर नई-नई रणनीतियां अपनाईं। विपक्ष और प्रेस की शिकायत रही है कि दस वर्षों में मोदी ने उनसे बात नहीं की। शायद यह सही हो, लेकिन मोदी ने जनता से सतत संवाद किया। यह अपनी तरह का एक रिकार्ड होगा कि 2014 से प्रधानमंत्री ने प्रतिमाह 'मन की बात' कार्यक्रम द्वारा लगभग 110 बार जनता से संवाद किया, जिसमें उन्होंने कभी राजनीति या दल की बात नहीं की। वे युवा जो आज 18-28 आयु वर्ग में हैं, वे विगत दस वर्षों से मोदी से जुड़े हुए हैं। यह ऐसा मतदाता वर्ग है, जिस पर विपरीत चुनाव प्रचार का असर नहीं पड़ेगा। विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए से आशा थी कि शायद वह योग्य नेतृत्व दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विपक्ष की यह ऐतिहासिक भूल रही, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। इस चुनाव प्रचार का दूसरा पहलू आरोप-प्रत्यारोप तक सिमटकर रह गया। जहां विपक्ष मोदी हटाओ एजेंडे पर केंद्रित होकर प्रधानमंत्री पर हमलावर रहा और जनता को डराने की कोशिश करता रहा कि मोदी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे तो सतारूढ़ दल ने भी प्रतिक्रियास्वरूप कांग्रेस और विपक्षी दलों पर आरोप लगाए कि वे हिंदू स्त्रियों का मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, पंथ-मजहब के आधार पर संपत्ति का बंटवारा करेंगे, दलितों और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देंगे। इन आरोपों-प्रत्यारोपों से प्रत्येक मतदाता चिंतित हो गया। इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बल मिला, जो लोकतंत्र के लिए किसी 'रेड अलर्ट' से कम नहीं।

प्रचार का तीसरा पहलू भाजपाई सांसदों से मतदाता की नाराजगी के रूप में दिखा, लेकिन मतदाता मोदी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि प्रत्याशी कौन है। उसे मोदी को वोट देना है। यह चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रचार को ऐसा बनाने में विपक्ष की भी भूमिका रही, क्योंकि उसने केवल मोदी को अपनी

अवधेश राजपूत

आलोचना, उपहास और आरोप का लक्ष्य बनाया। देश में बड़ों के सम्मान करने की एक परंपरा और संस्कार रहा है। मोदी के लिए विपक्षी नेताओं विशेषकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार तू-तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करने से लेकर उन्हें अपशब्द कहे, उनके कपड़ों तक पर कटाक्ष किया, उसे जनता ने पसंद नहीं किया। जिस परिश्रम, समर्पण तथा स्वच्छ राजनीतिक जीवन का प्रतिमान प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित किया, उसे जनता ने सराहा है।

चौथी प्रवृत्ति के मूल में मोदी का अबकी बार चार सौ पार का आह्वान दिखा। इससे लोगों में विशेष उत्साह नजर आया। जबसे मोदी भाजपाई राजनीति के शीर्ष पर उभरे हैं, तबसे उन्होंने समावेशी राजनीति द्वारा पार्टी के जनाधार में बहुत विस्तार किया है। उन्होंने देश में वर्गीय राजनीति की शुरुआत की। मोदी ने महिला, सीमांत किसानों, गरीब-शोषित-वंचित एवं युवा, इन चार वर्गों को चिह्नित कर उनके कल्याण एवं सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने जातीय समीकरणों की उपेक्षा किए बिना उसे वर्गीय राजनीति से जोड़ा। अधिकांश विश्लेषक चुनाव परिणामों का आकलन जातीय गणित द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव स्वयं जनता मोदी के लिए लड़ रही है। पांचवां पहलू यह रहा कि चुनाव प्रचार में विपक्ष कोई गंभीर 'राष्ट्रीय नैरेटिव' नहीं गढ़ पाया। चुनावी रैलियों में प्रत्याशी या स्टार प्रचारक महत्वपूर्ण और प्रभावी विचार रखते नहीं दिखे। विपक्ष नहीं बता पाया कि आइएनडीआइए सत्ता में आया तो उसकी वैकल्पिक नीतियां क्या होंगी? यदि विपक्ष अपनी नीतियां बताता, जनता को समझाता कि वे सत्ताधारी दल की नीतियों से कैसे बेहतर हैं और मोदी सरकार को प्रतिरक्षात्मक बनाता तो यह कहीं बेहतर होता। चुनावी विमर्श निराशाजनक रहा और अंततः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चपेट में आ गया।

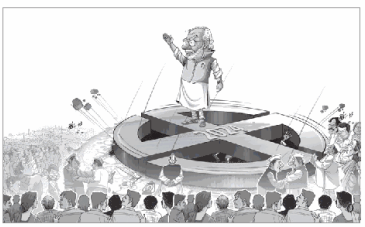

राजनीति की दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में मायावती की भूमिका संदिग्ध दिखी। तीसरे दौर के बाद वह अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को 'अपरिपक्वता' के कारण किनारे किए जाने का ठोस कारण नहीं दे सकीं। इससे न केवल बसपा का चुनाव प्रचार पटरी से उतर गया, बल्कि बसपा कार्यकर्ता मायावती के इरादों पर भी संदेह करने लगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव के दौरान ही नरेश उत्तम पटेल को हटाकर श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया, पर अखिलेश यह नहीं समझा पाए कि 'यूपी के दो लड़के' वाले असफल सपा-कांग्रेस गठजोड़ की पुनरावृत्ति उन्होंने क्यों की? जिस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 2.3 प्रतिशत वोट मिले, उसे उन्होंने 17 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए दे दीं।

चुनाव प्रचार में इंटरनेट मीडिया की भी सशक्त भूमिका रही। इंटरनेट मीडिया अब गांव-देहात तक पहुंच चुका है। तमाम दिग्गज इस मंच पर खासे सक्रिय रहते हैं। उनकी सक्रियता ने भी जनता के मतदान व्यवहार को भाजपा के पक्ष में प्रभावित किया। चुनाव प्रचार में यह भी देखने को मिला कि 'राम-मंदिर' वैसा मुद्दा नहीं बन पाया, जैसा उसे लेकर आरंभ में उम्मीद लगाई गई थी। चूंकि मंदिर बन गया, प्राण-प्रतिष्ठा हो गई, अपार जनसमूह रामलला के दर्शन से आह्लादित एवं अभिभूत है, इसलिए अब वह मुद्दा क्यों बने? हालांकि जनमानस पर उसका प्रभाव कितना गहरा हुआ है, अभी इसका अनुमान लगाना कठिन है। संभव है कि चुनाव प्रचार के दौरान नेपथ्य में रहने वाला यह मुद्दा अन्य सभी मुद्दों पर बहुत भारी पड़े।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

कानूनी खामियां गिनाता पुणे कार हादसा

इन दिनों पुणे में दो इंजीनियरों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत और इस हादसे के आरोपित नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड से मिली जमानत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनावी माहौल में राजनीतिक नजरिये से भी बयानबाजी हो रही है, मगर बुनियादी रूप से जिस पक्ष पर बात होनी चाहिए, वह नदारद है। बात यह है कि क्या किशोर न्याय कानून, 2015 के प्रविधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? पुणे में किशोर न्याय बोर्ड ने कोई नियम विरुद्ध या विशेषाधिकार का प्रयोग किया ही नहीं, क्योंकि किशोर न्याय कानून मूल स्वरूप में एक सुधारात्मक कानून है, जो 18 साल तक के हर लड़के-लड़की को उसकी हर गलती पर सुधरने का अवसर सुनिश्चित करता है। इस बार किशोर न्याय बोर्ड ने वही किया, जो निर्भया केस में सर्वाधिक दरिंदगी करने वाले नाबालिग आरोपित के साथ किया गया था। देखा जाए तो इस मामले में दो अधिनियम मोटर वाहन कानून और किशोर न्याय कानून प्रभावशील हैं। मोटर वाहन कानून की धारा 199 (अ) के अनुसार लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को अधिकतम तीन साल की सजा के साथ वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित होगा। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुणे सड़क दुर्घटना मामले में यही प्रविधान लागू होगा, जबकि किशोर न्याय कानून कहता है कि बच्चों के मामले में अपराध को तीन श्रेणियों में देखा जाएगा। मामूली अपराध, जिनमें तीन साल तक की सजा है। गंभीर अपराध, जिनमें तीन से सात साल तक की सजा है। जघन्य अपराध, जिनमें सात साल से ऊपर की सजा के प्रविधान हैं।

पुणे प्रकरण में आरोपी का कृत्य मामूली अपराध की श्रेणी में ही आता है इसलिए सुधारात्मक पहलू लागू हुआ और किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपित किशोर को इसी आधार पर जमानत दे दी। स्मरण रहे कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब ये तीनों श्रेणियां बनाई गई थीं और यह निश्चय किया गया था कि अगर जघन्य अपराध करने वाले किशोर 16 से 18 साल की आयु के हैं तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय भी किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय कानून की धारा 15 के तहत विचार करने के बाद ही करेगा। यानी किशोर न्याय बोर्ड अगर

डा. अजय खेमरिया

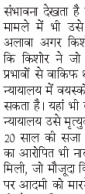

पुणे प्रकरण को किशोर न्याय के नाम पर नजरअंदाज करने के समाज में गंभीर दुष्परिणाम होंगे

पुणे में इसी कार से हुई भयावह घटना ● एएनआइ

जघन्य अपराध में भी किसी किशोर में सुधारात्मक संभावना देखता है तो किसी हत्या और दुष्कर्म के मामले में भी उसे जमानत दे सकता है। इसके अलावा अगर किशोर न्याय बोर्ड ऐसा मानता है कि किशोर ने जो अपराध किया है, वह उसके प्रभावों से वाकिफ था, तब उस मामले को किशोर न्यायालय में वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए भेज सकता है। यहां भी कानून में प्रविधान है कि किशोर न्यायालय उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता है, अधिकतम 20 साल की सजा ही सुनाएगा। चूंकि पुणे प्रकरण का आरोपित भी नाबालिग है इसलिए उसे वही छूट मिली, जो मौजूदा किशोर न्याय कानून में है। सड़क पर आदमी को मारने की सजा भारत में तीन साल ही है। इसलिए उसका यह अपराध किशोर न्याय कानून की नजर में जघन्य नहीं है, भले ही पीड़ितों के परिवार उसके इस कृत्य से उजड़ गए हों। जाहिर है इस पूरे मामले में पुलिस किशोर न्याय कानून से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा वह जिस पब में आरोपित ने शराब पी, उसके संचालक को नाबालिग को शराब परोसने के अपराध में सात साल की सजा दिला सकती है।

एक महत्वपूर्ण पक्ष मोटर वाहन कानून से भी जुड़ा है। इसके हिट एंड रन के कुछ प्रविधानों को जब मौजूदा केंद्र सरकार ने सख्त करने का निर्णय लिया, तब उसका तीखा विरोध हुआ था। यह बताता है कि देश में किसी घटना विशेष पर हायतौबा तो खूब होती है, लेकिन जब कानून के प्रवर्तन की बात आती है तो हम यथास्थितिवाद के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इस घटना से सबक लेते हुए सरकार मोटर वाहन कानून में वैसे ही सुधार करे, जैसे निर्भया के वक्त नाबालिग के अपराधों को परिभाषित किया गया था। किशोर न्याय, पोक्सो, महिला सुरक्षा जैसे कानून भी भारत में लागू तो कर दिए गए, लेकिन इनकी भावभूमि भारतीय है ही नहीं। किशोर न्याय कानून उन पश्चिमी देशों की सामाजिक व्यवस्था की उपज है, जहां परिवार नामक संस्था उतनी प्रभावी नहीं। वहां बच्चे दो वयस्कों की एक संविदा का प्रतिफल अधिक होते हैं। इसीलिए वहां 18 साल के बच्चों को कानून की शरण अपने नैसर्गिक विकास के लिए लेनी पड़ती है। भारत में आज भी परिवार संस्था जीवित है और इसके अंदर अभिभावकों और बच्चों के मध्य जिम्मेदारी का भाव तिरोहित नहीं हुआ है। स्पष्ट है मौजूदा कानून परिवार व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए सामाजिक जवाबदेही को भी सरकार के पाले में डालता है। बेहतर होगा कि 1989 से शुरू बाल कल्याण की इस अवधारणा को भारतीयता के धरातल पर मूल्यांकित किया जाए।

पुणे में जो घटना हुई, उसे अगर किशोर न्याय के नाम पर छोड़ दिया जाएगा तो इसके दुष्परिणाम भारतीय समाज में बहुत गहरे रूप में होंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 4,22,659 सड़क हादसे हुए, जिनमें दस प्रतिशत हादसे बच्चों ने किए। समझा जा सकता है कि एक गंभीर चुनौती बच्चों की उद्दंडता और स्वच्छंदता की खड़ी हो रही है। किशोर कानून में अपराधों की श्रेणी को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता तो है ही, मोटर वाहन कानून को भी बच्चों के मामले में सख्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पोक्सो के मामलों का भी स्वतंत्र रूप से सामाजिक प्रभावोत्पादकता के नजरिये से अध्ययन किया जाए और तत्संबंधी संशोधन हो।

(लोकनीति विश्लेषक लेखक किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परमात्मा से प्रेम

धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हम जो कहते-सुनते हैं उसे करने या आचरण में उतारने के लिए अपेक्षित तत्परता एवं प्रयासों का प्रायः अभाव दिखता है। हम प्रवचन सुनकर घर-परिवार, धन-दौलत, हिंसा और लोभ आदि के त्याग की बड़ी-बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ने की या जो कुछ सुना है उसे करने की हिम्मत नहीं रख पाते। वस्तु और व्यक्ति इन दोनों के साथ मधुर संबंध जोड़ने से हमें लाभ की अनुभूति होती है, परंतु परमात्मा के साथ मधुर संबंध जोड़ने से कोई लाभ होता है, ऐसा तुरंत और प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। शायद इसीलिए हमारा मन परमात्मा को प्रियतम के स्थान पर तो क्या प्रिय के स्थान पर भी स्थापित करने को तैयार नहीं होता। शाश्वत सुख चाहिए तो प्रियतर के स्थान पर चाहे हम किसी को रखें, लेकिन प्रियतम के स्थान पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए।

ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं, अपितु बहुत सरल है। हमारा आकर्षण मुक्ति के प्रति होना है, बंधन के प्रति नहीं। हमारे शुभ भावों पर परमात्मा का ही आधिपत्य है। हम सांस लेने की जिस प्रक्रिया से जी रहे हैं वह भी परमात्मा की कृपा का ही फल है। ऐसे में परमात्मा के सिवा किसी अन्य को प्रियतम के स्थान पर कैसे स्थापित किया जा सकता है? जीवन का प्रारंभ प्रेम से और समाप्ति परमात्मा से है। अगर कुछ संभालना है तो वस्तु और व्यक्ति को संभालें, जीवन न्योछावर करना हो तो परमात्मा पर ही करना उचित है।

संसार के समस्त जीवों को दोष से मुक्त करने की न हमारी जिम्मेदारी है न ही हमारी सामर्थ्य, किंतु उन समस्त जीवों के प्रति हृदय में प्रेम रखने की शक्ति तो है ही। अगर हम एक बार स्वार्थ से दृष्टि हटाकर गुणों के ग्राहक बन जाएं तो हमें व्यक्ति भी और उनके गुण दोनों अच्छे लगने लगेंगे। तब दोष हमें दिखाई ही नहीं देंगे। इस प्रकार हमारी ऐसी दृष्टि विकसित होगी जो जीवन को आनंद से सराबोर कर देगी।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@hir.jagran.com

कांग्रेस को दिखानी होगी सक्रियता

'हाथ के कितने बदलेंगे हालात' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राहुल वर्मा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं की थाह ली है। केंद्र में दस साल के सत्ता विरोधी रुझान के बाद तो कांग्रेस सत्ता की स्वाभाविक दावेदार होनी चाहिए थी, लेकिन अब यदि उसकी सफलता के लिए सौ सीटें हासिल करने को ही एक कसौटी माना जा रहा है तो इससे उसकी दयनीय दशा को सहज ही समझा जा सकता है। आज कांग्रेस अपनी इस स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसने समय रहते प्रयास नहीं किए और आज वह राजनीतिक मुकाबले से लगभग बाहर खड़ी हुई है। वैसे तो चुनाव नतीजों का आना अभी शेष है, लेकिन व्यापक अनुमानों में माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्य मुकाबले में एक तरह से बाहर है। यह लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में विभिन्न पक्षों के बीच संतुलन कायम होना बहुत आवश्यक है। यदि चुनाव परिणाम पक्ष में आते हैं और यदि अनुकूल नहीं आते तो दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस को अपनी सक्रियता बनाए रखनी होगी। केवल चुनाव से कुछ समय पहले ही सक्रियता दिखाने के बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलते। राजनीति वास्तव में सदैव सक्रिय रहने वाला क्षेत्र है।

रवि वार्ष्णेय, बुलंदशहर

बिगड़ रहे गुलाम जम्मू-कश्मीर के हालात

पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बिजली-पानी, खाद्य पदार्थों की कमी, भुखमरी और सैना के अत्याचारों से खौफजदा होकर जनता बगावत पर उतर आई है। इधर भारतीय कश्मीरी लोकतंत्र में खुशहाल चुनाव का जश्न मना रहे हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का सही वक्त आ गया है। भारत सरकार को चाहिए गुलाम जम्मू-कश्मीर की आवाज बने। हालांकि, जब तक वहां के लोग भारत से मदद नहीं मांगते, तब तक भारत सीधे तौर पर हस्ताक्षेप नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ बांग्लादेश की आजादी बिना भारतीय सैनिक कार्यवाई के असंभव थी। वहीं, गुलाम जम्मू-कश्मीर के हालात बेकाबू हो गए तो मुमकिन है, वहां का आवाम भारतीय सीमा का उल्लंघन कर अवैधानिक तरीके से घुसपैठ करने पर उतर आए। भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है।

कृष्ण खन्ना, नई दिल्ली

ओबीसी कार्ड का किसे फायदा

लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण से पहले माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्रों को रद करने का आदेश दिया है। ये ओबीसी प्रमाणपत्र 2010 के बाद जारी किए गए थे, हालांकि ममता बनर्जी सरकार 2011 में सत्ता में आई थी। विदित हो कि तथाकथित ओबीसी प्रमाणपत्र 1993 (पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग) अधिनियम के प्रविधानों को दरकिनार करते हुए जारी किए गए थे। निःसंदेह इस फैसले से लगभग पांच लाख लोग प्रभावित होंगे। लेकिन ममता बनर्जी सरकार की पोल अवश्य खुल गई है, क्योंकि बंगाल सरकार का रुख मुस्लिम तुष्टीकरण का ज्यादा रहा है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

बदहाल कांग्रेस

राहुल वर्मा का आलेख 'हाथ के कितने बदलेंगे हालात' बहुत ही सटीक है। लेखक ने इंडी गठबंधन बनने, परिवार से बाहर के मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष बनाने, थोड़ी बहुत सत्ता विरोधी लहर, राहुल गांधी की दो यात्राओं आदि के चलते कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ने की उम्मीद जताई है। 2019 में कांग्रेस की 52 सीट आई थीं। लेखक के तर्क मानकर कुछ सीट हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन 100 सीट का आंकड़ा तो असंभव है। इसके बहुत से कारण हैं, सबसे बड़ा कारण तो इंडी गठबंधन सच्चे अर्थ में गठबंधन बन ही नहीं पाया। इसके घटक कहीं सीट शेयर कर रहे हैं तो कहीं आपस में लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। गठबंधन के दलों के घोषणापत्र तक पृथक हैं, यहां तक कि परस्पर विरोधी भी हैं। इंडी गठबंधन एक नेता तक तय नहीं कर पाया है। इंडी गठबंधन की एकमात्र सफलता है, कुछ सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले रोकना। कांग्रेस के कायाकल्प में सबसे बड़ी बाधा पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ही हैं। वह पार्टी को दो कदम आगे ले जाते हैं तो फौरन छह कदम पीछे ले जाते हैं। कई कदम ऐसे उठाते हैं जो घातक सिद्ध होते हैं। जैसे कि दिल्ली में आप से सीट बंटवारा करना और देशविरोधी की छाप लगे कन्हैया कुमार को टिकट देना। संक्षेप में कांग्रेस की कुछ सीट बढ़ सकती हैं। 100 का आंकड़ा तो छूना भी नामुमकिन है।

सीपी बंसल, दिल्ली

पोस्ट

भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में लोग कैसे चुनाव परिणाम और राज्यवार सीटों के अनुमानित आंकड़ों की इतनी सहजता से भविष्यवाणी कर रहे हैं?

चेतन भगत@chetan_bhagat

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने राशन, मकान और इलाज की जो व्यवस्था की है, उसने हर जाति-धर्म से अलग वर्ग तैयार कर दिया है। वह बाहर जाति-धर्म की फांस में फंसे होने का बहाना तो करता है, घर में अपने परिवार की खैरियत देखता है। नतीजे इसकी गवाही देंगे।

राणा यशवंत@RanaYashwant1

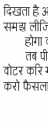

देश में मैन्यूफैक्चरिंग के मोर्चे पर कुछ सूचनाएं साझा करनी हैं। गूगल का सुपर प्रीमियम फोन पिक्सल 8 इस साल से भारत में बनना शुरू हो जाएगा। वहीं एपल ने 2026 से आइफोन के वैश्विक उत्पादन का 25 प्रतिशत भारत में निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

केकेआर के विरुद्ध स्टार्क और आरसीबी के खिलाफ अश्विन ने दिखाया कि गेंदबाज किस तरह प्लेआफ जैसे बड़े मंच पर प्रदर्शन करते हैं। असल में बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन गेंदबाज खिताब आपकी झोली में डालते हैं। मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

जनपथ

दिखता है अखिलेश की रैली में जो दृश्य,
समझ लीजिए देश का होगा वह परिदृश्य।
होगा वह परिदृश्य अगर सत्ता में आए,
तब पीटेंगे शीश आज जो हैं बौराए!
वोटर करि मतदान भाग्य अपना है लिखता,
करो फैसला देखि सामने जो है दिखता!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए : राहुल मित्तल द्वारा प्लाट नं. 15, इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली रोड, हिसार से मुद्रित एवं प्रकाशित, सम्पादक (हरियाणा) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*, दूरभाष : 01662-282900, E-mail : hisar@hir.jagran.com -पं. सं. HARHIN/2007/22609 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद हिसार न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 17 अंक 361

****

कल्पमेधा

समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है कि उसके पास बोलने या बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एक बेवकूफ केवल इसलिए बोलता है कि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है।

- प्लेटो

सेहत और संक्रमण

हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां स्वच्छता संबंधी आदतें न अपनाने और जीवाणु-रोधी उपायों पर गंभीरता से ध्यान न दे पाने की वजह से पैदा हो रही हैं। लांसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर ठीक से संक्रमण रोकने संबंधी उपाय किए जाएं तो निम्न-मध्यम आय वाले देशों में करीब साढ़े सात लाख जान बचाई जा सकती है। इन उपायों में हाथों की सफाई, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में नियमित रूप से साफ-सफाई, उपकरणों का रोगाणुनाशन, पीने के लिए स्वच्छ जल मुहैया कराना, सही तरीके से साफ-सफाई रखना और बच्चों को सही समय पर टीके लगवाना शामिल है। अनुसंधानकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय दल ने अनुमान लगाया कि हर वर्ष दुनियाभर में होने वाली हर आठ मौत में से एक का कारण जीवाणु संक्रमण होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध की स्थिति से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए लोगों की एंटीबायोटिक तक आसान पहुंच मुहैया कराने का आह्वान किया है। अगर ऐसा न किया गया तो बच्चों को बचाने और उन्हें लंबे समय तक स्वास्थ्य रखने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मुश्किलें बनी रहेंगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नियमित टीके लगाकर करीब 1.82 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह कोई कठिन काम नहीं है, मगर अफसोस कि एक बड़ी आबादी इन सुविधाओं से वंचित है।

जिस तरह जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ रहे हैं, उनका सबसे अधिक असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। नए-नए किस्म के जीवाणु पैदा हो रहे हैं और अगर समय रहते उन पर काबू न पाया जाए, तो वे जानलेवा साबित होते हैं। हालांकि अनेक संक्रामक रोगों पर काबू पाने के मकसद से गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पैदा होने के बाद से ही टीके लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। मगर इसमें भी बहुत सारे लोग अनजाने में या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न हो पाने के कारण लापरवाही बरतते देखे जाते हैं। पोलियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें वर्षों से पोलियो की खुराक दी जाने के बावजूद देश अभी तक पूरी तरह पोलियोमुक्त नहीं हो पाया है। मलेरिया, हेपेटाइटिस, जापानी बुखार जैसी बीमारियां जब-तब सिर उठा लेती और जानलेवा साबित होती हैं। इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी प्रदूषित वातावरण में रहने और काम करने को मजबूर है। एक बड़ी आबादी आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। ऐसे में संक्रामक बीमारियों पर काबू पाना कठिन बना हुआ है।

दूसरी बड़ी समस्या तमाम दावों और वादों के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को संतोषजनक न बनाया जा सकना है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता सभी तक संभव नहीं हो पाती। महानगरों में फिर भी कुछ बेहतर स्थिति देखी जा सकती है, पर ग्रामीण इलाकों के बहुत सारे लोग स्वच्छता उपायों के मामले में वंचित ही देखे जाते हैं। बड़ी आबादी को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहाने-धोने, साफ-सफाई के मामले में लापरवाह देखे जाते हैं। उन इलाकों में जब संक्रामक रोग फैलते हैं, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। यह अकारण नहीं है कि संक्रामक रोगों से ज्यादातर शिशु मृत्यु ऐसे ही इलाकों में होती है, जहां स्वच्छता की कमी है। लांसेट के ताजा अध्ययन पर सरकारें कितनी गंभीरता से ध्यान देंगी, देखने की बात है।

जोखिम की कार्रवाई

उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वहां की पुलिस की सक्रियता हैरान करने वाली है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम अपनी जीप लेकर आपातकालीन मरीजों को ले जाने वाले रास्ते से अस्पताल की चौथी मंजिल पर चढ़ गई। इस घटना के बहुप्रचारित वीडियो में यह साफ दिखा कि पुलिस की जीप अस्पताल के वार्ड में एक गलियारे से गुजर रही है, वहां मौजूद मरीज और उनके परिजन हैरानी से यह सब देख रहे हैं और इस बीच अस्पताल के सुरक्षाकर्मी दोनों तरफ मरीजों से लदे स्ट्रेचर को जल्दी-जल्दी किनारे कर रहे हैं, ताकि जीप आसानी से आगे निकल सके। इसके बाद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। निश्चय ही इसमें पुलिस की सक्रियता दिखती है, मगर सवाल है कि अस्पताल जैसी जगह में इस तरह जाने की क्या जरूरत थी!

यह समझना मुश्किल है कि अगर आरोपी अस्पताल के भीतर था, तो उसे गिरफ्तार करने या किसी अनहोनी की आशंका से उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुलिस को अपनी गाड़ी लेकर चौथी मंजिल पर ले जाना एकमात्र विकल्प कैसे था! अस्पताल में मरीजों के इलाज और उनकी देखरेख में कोई भी बाधा या अव्यवस्था पैदा होने जैसी किसी गतिविधि की इजाजत नहीं होती। यहां तक कि मामूली शोर से भी बचने के पूरे इंतजाम किए जाते हैं, ताकि किसी रोगी की परेशानी न हो। ऐसी जगह में क्या आपातकालीन मरीजों को लाने-ले जाने वाले रास्ते से जीप को चौथी मंजिल पर लेकर जाने के बजाय आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता था? इस घटना पर सफाई के तौर पर कहा गया कि अस्पताल में आरोपी के खिलाफ गुस्सा था और उसे सुरक्षित निकालना भी जरूरी था। मगर इसके लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी बुलाए जा सकते थे। गनीमत है, अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच से जिस तरह पुलिस के वाहन को निकाला गया, उससे कोई नया जोखिम पैदा नहीं हुआ। इससे ऐसी स्थितियों से निपटने में पुलिस के प्रशिक्षण की कमी स्पष्ट झलकती है।

दाल उत्पादन में आयात के रोड़े

भारत में किसानों के पास दाल उत्पादन की बड़ी क्षमता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त घरेलू बाजार न मिल पाने से यह घाटे का सौदा रहता है। विदेशों से शुल्क-मुक्त आयात होने से अब घरेलू दाल बाजारों में किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल पाना कठिन है।

केसी त्यागी
बिशन नेहवाल

हाल ही में, घरेलू दाल बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2025 तक तुअर और उड़द दाल के लिए शुल्क-मुक्त आयात के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने अपनी घरेलू मांग की पूर्ति के लिए ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ कई दौर की वार्ता की है। अगर सरकार के दावे पर विश्वास करें तो 2027 तक दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर होगा और 2028 से एक किलो दाल भी आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तमाम दावों के बावजूद सरकार का शुल्क-मुक्त आयात का विरोधाभासी निर्णय भारतीय किसानों के लिए इसके निहितार्थ के बारे में महत्त्वपूर्ण सवाल उठाता है। इससे दाल उत्पादक किसानों के जीवन पर अनिश्चितता के बादल खड़े हो गए हैं।

भारत में किसानों के पास दाल उत्पादन की बड़ी क्षमता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त घरेलू बाजार न मिल पाने से हमेशा यह घाटे का सौदा रहता है। विदेश से शुल्क-मुक्त आयात होने से अब घरेलू दाल बाजारों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाना कठिन है। पिछले रबी सीजन में दाल की खरीद में कोई खास फायदा न मिल पाने से उत्तर प्रदेश में किसानों ने इस बार दालों की खेती कम की है। विदेशी दालों का आयात बढ़ जाने से अगले वर्ष दालों पर किसानों को अच्छे दाम मिलने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।

भारत वैश्विक स्तर पर दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता, आयातक और उत्पादक है। अरहर और उड़द की दाल, भारतीय आहार का महत्त्वपूर्ण घटक होने के कारण रणनीतिक महत्त्व रखती है। शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार मूल्य अस्थिरता, अपर्याप्त घरेलू उत्पादन तथा आपूर्ति और मांग को संतुलित करने की निरंतर चुनौती जैसे आवर्ती मुद्दों की पृष्ठभूमि में होता है। भारत में दालों के बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया है, किसान कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। जबकि दालें पोषण सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, उनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना लगातार चुनौती रही है।

शुल्क-मुक्त आयात से घरेलू स्तर पर उत्पादित अरहर और उड़द दाल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। जब बाजार सस्ते आयात से भर जाते हैं, तो अक्सर घरेलू बाजार में कीमतों में कमी आती है। इससे भारतीय किसानों की आय प्रभावित होती है। भारत का दालों का आयात वित्तवर्ष 2022-23 में छह साल के उच्चतम स्तर, अनुमानित 29 लाख टन, तक पहुंच गया। अप्रैल-अक्तूबर में 19.6 लाख टन (14,057 करोड़ रुपए) से अधिक का आयात हुआ, जिसमें मसूर की दाल सबसे आगे है, जो दस लाख टन के आंकड़े को पार कर गई है। यह निर्णय संभावित रूप से भारतीय किसानों को अरहर और उड़द दाल की खेती से हतोत्साहित कर सकता है। सस्ते आयात की उपलब्धता के साथ, किसान बेहतर कमाई देने वाली अन्य फसलों की ओर रुख कर सकते हैं। पहले से ही दलहन की कम बुआई के आंकड़े सामने आ रहे हैं।

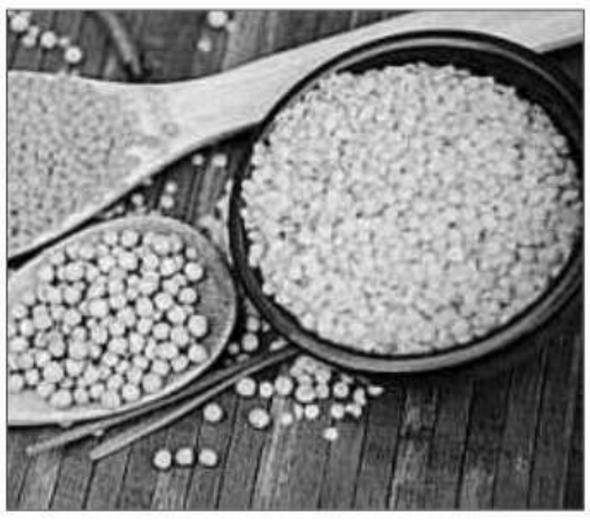

इसमें दालों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

अगर पिछले आंकड़ों से तुलना करें, तो बुवाई लगातार घट रही है। पिछले साल इस समय तक दलहन की बुवाई 148.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी, जो इस बार घटकर 137.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही हुई है।

> तमाम किसान संगठन सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते रहते हैं। दालों की मांग बढ़ने से कीमत का फायदा किसान को न मिले, इसलिए सरकारें दालों के आयात का दरवाजा खुला रखती हैं। दालों का उत्पादन बढ़ने पर सरकार किसानों के हित में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही दाल की कीमत बढ़ने लगती है, इस बहाने वह प्रतिबंध हटा देती है। व्यापारी भी विदेश से आने वाली सस्ती दाल का इंतजार करते रहते हैं, जिससे किसानों को फायदा होता ही नहीं है।

दलहन की कम बुवाई के लिए राज्यों में किसानों का दलहन छोड़ कर अन्य फसलों की तरफ रुख कर लेना बड़ा कारण है। यह बदलाव दलहन उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों को कमजोर कर सकता है।

मसलन, एक क्विंटल मसूर उगाने की लागत सात हजार रुपए बैठती है, जबकि 2023-2024 के लिए मसूर दाल का घोषित एमएसपी छह हजार रुपए है, जिसे 2024-2025 के लिए बढ़ाकर 6425 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद भी किसानों को वह दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि दालों सहित किसी भी अन्य फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की समुचित व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर से सरकार कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, मोजांबिक, म्यांमा और दूसरे देशों से सस्ती दर पर दाल आयात कर लेती है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि दाल का आयात घरेलू से भी नीचे दामों पर होता है। इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता, और सारा नाजायज मुनाफा व्यापारी खा जाते हैं।

तमाम किसान संगठन सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते रहते हैं। दालों की मांग बढ़ने से कीमत का फायदा किसान को न मिले, इसलिए सरकारें दालों के आयात का दरवाजा खुला रखती हैं। दालों का उत्पादन बढ़ने पर सरकार किसानों के हित में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही दाल की कीमत बढ़ने लगती है, इस बहाने वह प्रतिबंध हटा देती है। व्यापारी भी विदेश से आने वाली सस्ती दाल का इंतजार करते रहते हैं, जिससे किसानों को फायदा होता ही नहीं है। मार्च 2025 तक तुअर और उड़द दाल के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार एक जटिल चुनौती है, जिसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार की आवश्यकता के साथ भारतीय किसानों के हितों को संतुलित करना नाजुक काम है, जो एक व्यापक नीतिगत ढांचे की मांग करता है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, पूरे देश में प्रत्येक फसल की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जाए। इसके लिए बाजार संबंधों को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है। दालों सहित सब कृषि उत्पादों के यातायात, भंडारण, व्यापार, प्रसंस्करण और निर्यात पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं। घरेलू उत्पादन कम होने की दशा में आयात और आयात कर की राशि का निर्णय फसल आने के बाद किया जाए। मजबूत कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण और किसानों और बाजारों के बीच संपर्क में सुधार से वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब समय का तकाजा है कि विश्व व्यापार संगठन की नित नई शर्तों से निकल कर ग्रामीण क्षेत्र और कृषि की उपेक्षा करना बंद कर गांवों को ही स्वावलंबी बनाने के प्रयास में जुटा जाएं।

भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सरकार को निवेश, तकनीकी प्रगति और सहायक नीतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही, प्रयासों को एक लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए, जो कृषक समुदाय की भलाई सुनिश्चित करते हुए वैश्विक बाजार के दबावों का सामना कर सके। इन चुनौतियों से निपटने में सरकार, किसानों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग सर्वोपरि है। भारत के लिए एक स्थायी और समृद्ध कृषि भविष्य की यात्रा के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता, सक्रिय नीति निर्धारण और भूमि पर मेहनत करने वालों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

सार्थकता की कसौटी

राजेंद्र बज

हर किसी की जिंदगी में कोई विशेष चाहत होती है। आमतौर पर ऐसी चाहत कभी अपने लिए या कभी अपने परिवार के लिए हुआ करती है। इस संदर्भ में मन, वचन और कर्म की एकाग्रता के साथ मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। मगर व्यावहारिक रूप से ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है कि भरपूर प्रयासों के पश्चात भी हर कोई मनोवांछित लक्ष्य को पा सके। कई बार हम अपनी क्षमताओं का वास्तविक आकलन करने में गंभीर भूल कर बैठते हैं। इसके चलते कभी क्षमताओं का पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता तो कभी अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया जाता है। नतीजतन, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते और हम निराशा के गहन अंधकार में डूब कर रह जाते हैं। हालांकि यह भी विचारणीय है कि दुनिया में जितनी तरह की विविधताएं हैं, जितने तरह के लोग हैं, जितनी तरह सोचने-विचारने के ध्रुव हैं, उसमें क्या यह अनिवार्य है कि हम जो भी करना चाहें, उसमें हर बार हमें कामयाबी मिले ही?

इस संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने के पूर्व हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का पर्याप्त आकलन तमाम संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह सच है कि यथार्थ के धरातल पर टिकी सोच के आधार पर ही भविष्य निर्माण की परिकल्पनाओं को साकार सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन जीवन में महत्त्वपूर्ण मुकाम पाने के लिए महत्त्वाकांक्षा का होना भी एक आवश्यक शर्त है। कभी-कभी वांछित लक्ष्य को पाने के लिए संभावनाओं का पूर्वानुमान भी लगाना होता है। जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर रहने के लिए हौसलों की उड़ान भी बहुत मायने रखती है। ऐसी स्थिति में हमारा आत्मबल ही हमें संबल देता है। अगर कुछ नाकामियों के बाद भी हमारा आत्मबल कायम रह जाता है तो निश्चित रूप से कामयाबी हमारे रास्ते में होगी।

दरअसल, परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं होतीं। अनेक अवसरों पर ऐसे कारण और निमित्त बन जाते हैं कि हमें अपनी कार्ययोजना में कहीं-कहीं आंशिक परिवर्तन भी करने होते हैं। हमें ऐसे संभावित परिवर्तनों के प्रति मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत होती है। कभी-कभी पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों के चलते वांछित लक्ष्य में परिवर्तन करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में हमें भविष्य निर्माण की अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर जीवन की दशा और दिशा में तब्दीली करना भी पड़े, तो भी मन में कोफ्त नहीं होती। किसी एक ही लक्ष्य पर पूर्ण रूप से अडिग रहना आज के दौर में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। बल्कि ऐसा भी होता है कि किसी एक लक्ष्य या तरीके पर टिके रहना या उस पर जिद करना ही हमारी कामयाबी की राहों में सबसे बड़ा अड़चन होता है।

जब दौड़ प्रतियोगिता होती है, तब सारे धावक प्रथम आने की कामना करते हैं, लेकिन सब आ नहीं पाते। ऐसे में दूसरा, तीसरा या अंतिम स्थान भी मिले तो यह सोचकर दिल को सुकून होना चाहिए कि यही एकमात्र प्रतियोगिता जिंदगी की आखिरी प्रतियोगिता नहीं थी। आगे अवसर और भी आएंगे, तब इस प्रतियोगिता में पिछड़ना भी हमारे रियाज के रूप में हमें और अधिक काबिल बनाने में सहायक होगा। लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास कभी अकारथ नहीं जाते। कहीं-न-कहीं उसका प्रतिफल देर सबेर ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। और कुछ नहीं तो अनुभव का लाभ तो जीवन में कभी-न-कभी काम आता ही है। इसलिए हमें प्रयास करना किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए।

जब हम विराट लक्ष्य को सामने रखकर उसे जगजाहिर कर देते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि हमें हतोत्साहित किए जाने के प्रयास होने लगें। आज के दौर में उत्साहवर्धन करने वालों की अपेक्षा मनोबल तोड़ने वालों की बहुतायत है। ऐसी स्थिति में मन की दृढ़ता ही हमारे काम आती है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। बहुतेरे लोग वांछित लक्ष्य को पाने का प्रयास ही नहीं करते और यह सोचकर बैठ जाते हैं कि 'मैं ऐसा कैसे कर सकूंगा'! इस संदर्भ में दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति बड़ी माकूल जान पड़ती है कि 'कौन कहता है कि आसमान में सूराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।' दरअसल, परिणाम चाहे जो हो, किसी भी दिशा में कुछ न कुछ करने का सिला मिलता ही है।

जीवन में अपने लक्ष्य के विकल्प का होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनचाही चाहत के सर्वथा अपूर्ण रहने पर अवसाद से घिर जाने का अंदेशा बना रहता है। संकल्प का विकल्प नित नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की अनगिनत नई-नई राहें निकलती दिखाई देती हैं। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते इसका संज्ञान ले लिया जाए, ताकि मुख्य लक्ष्य से निराश होने पर तत्काल प्रभाव से हम अपनी नई राह का चयन कर सकें। वैसे भी यह जरूरी नहीं होता कि हर किसी के मन की चाहत साकार सिद्ध हो ही जाए। समय का कब कैसा दौर आएगा, इस बारे में पक्के तौर पर सटीक आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए हर एक संभावना पर विचार करना चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

> जब हम विराट लक्ष्य को सामने रखकर उसे जगजाहिर कर देते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि हमें हतोत्साहित किए जाने के प्रयास होने लगें। आज के दौर में उत्साहवर्धन करने वालों की अपेक्षा मनोबल तोड़ने वालों की बहुतायत है। ऐसी स्थिति में मन की दृढ़ता ही हमारे काम आती है।

कूटनीतिक बाजी

भारत ने चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन दस वर्ष के लिए अपने हाथ में लेकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसे इसकी पहली विदेशी परियोजना माना जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ इसके संबंधों में सुधार आने की संभावना है। भारत को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की भी उम्मीद है। जैसे-जैसे ईरान और पश्चिम के बीच की खाई बढ़ती है, यह इस परियोजना को और भी दिलचस्प बनाता है। चाबहार परियोजना के ठोस आकार लेने के साथ, दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए रूस, ईरान और भारत के दिमाग की उपज, उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कारिडोर ने कुछ प्रगति हासिल की है। यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना मध्य एशिया और अफगानिस्तान की भूमि से घिरे देशों को सुरक्षित और स्थिर संपर्क प्रदान करके यूरोप के साथ एकीकृत कर सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान के ग्वादोर बंदरगाह के लिए हलचल पैदा करेगी और पूर्व की विभाजनकारी प्रवृत्तियों के प्रतिकार के रूप में कार्य करेगी।

- विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल, उत्तराखंड

देश के लिए

दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तमाम धर्म और उसके रहबरों ने मुहब्बत और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। हर धर्म ने नफरत से दूर रहने का संदेश दिया। मगर आज कुछ असामाजिक तत्त्व इस देश में नफरत की चिंगारी जलाकर मुहब्बत और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस तरह के असामाजिक लोगों को पता नहीं कि वे लोग कितनी भी नफरत की बातें कर लें, लेकिन हमारे देश में हर धर्म में अभी भी शिक्षित लोग मौजूद हैं, जो उनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे और वैसे लोगों की इस देश में दाल नहीं गलेगी। इस दुनिया के हर धर्म के लोग अपनी-अपनी भाषा में अपने ईश्वर और भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सबका इशारा एक ही तरफ है। आज जरूरत है कि अपने बच्चों को नफरत की चिंगारी से दूर रखा जाए, ताकि हमारे देश में हमेशा शांति कायम रहे, क्योंकि देश सर्वोपरि है।

- इकबाल राजा, मधेपुरा, बिहार

बेमानी होती परीक्षा

वर्षों की जीतोड़ मेहनत के बाद जब पच्चीस लाख विद्यार्थी डाक्टर बनने का ख्वाब लेकर परीक्षा देने गए तो उनका उत्साह देखने लायक रहा होगा। मगर परीक्षा के बाद शाम ढलते ही खबर आ गई कि परीक्षा का पर्चा तो पहले ही लीक हो चुका था। करीब दस दिन बाद बिहार और गुजरात से भी जयपुर जैसी खबरें आईं। केंद्र सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। लाखों बच्चे बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं लेकिन जब प्रश्नपत्र लीक हो जाता है तो उनके और उनके परिवार पर क्या गुजरती है, वही बता सकते हैं। इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा, ताकि आज परिपाटी बन चुकी प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं रोकी जा सकें। फिर संबंधित संस्थाओं को भी चाहिए कि वे सभी परीक्षार्थियों से न्याय करें और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए।

- मुनीश कुमार, रेवाड़ी, हरियाणा

खेल के नाम पर

देश में आनलाइन गेमिंग के कारण आत्महत्या की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन सरकार आनलाइन गेमिंग पर अट्ठाईस फीसद जीएसटी प्राप्त कर खुश है। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए एक बुराई को मान्यता प्रदान कर दी है। आनलाइन गेम में खेल के नाम पर बेकारेट, तीन पत्ती, ब्लैक जैक, ड्रैगन टाइगर, क्रिकेट सट्टा आदि पैसों से खेले जाने वाले सभी गेम वैध हो गए हैं। सदस्यता लेने के लिए सर्वप्रथम बैंक खाते को लिंक करना होता है। शीघ्र करोड़पति बनने के लुभावने वादों में उलझ कर परिवार की जमा पूंजी बर्बाद कर देती है। इन आनलाइन खेलों के ब्रांड एंबेसडर फिल्मी नायक-नायिका या प्रसिद्ध हस्तियां होती हैं, जिन्हें देखकर युवा पीढ़ी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। कई परिवार इससे बर्बाद हो रहे हैं और अंत में आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा रहे हैं। इसलिए आनलाइन गेमिंग पर शीघ्र प्रतिबंध लगना चाहिए।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

www.readwhere.com